

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.प./55/2015

दर्ज दिनांक:-13.07.2015

1. उम्मेदसिंह पता— .....प्राथी  
बनाम  
2. माया पता— .....अप्रार्थीगण

सोनीराम शर्मा

प्राथी अभिभाषक  
अप्रार्थी अभिभाषक  
दिनांक 06.09.2018

निर्णय

आज यह पत्रावली प्राथी के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्राथी ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह अपने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। अतः खारिज किया जावे।

हमने प्राथी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया प्राथी का मूल दावा दिनांक 30.08.2018 को विद्धों में खारिज किया जा चुका है। चूंकि प्राथी अपने इस प्रार्थना पत्र को भी आगे नहीं चलाना चाहता। अतः प्राथी का प्रार्थना u/s 212 RTA विद्धों किये जाने पर खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official